



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

स्मरण पत्र – 1

क्रमांक / सं.अ.सं. / 080 / 2024

दिनांक / 04 / 2024

प्रति,

संचालक
BCA एवं BBA के लिए
सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएँ

विषय : BBA / BCA पाठ्यक्रमों के AICTE के नियमन के संबंध में।

संदर्भ :- (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के अर्ध शासकीय पत्र क्र.

D.O.No.279/2023(CCP-II) दिनांक-08 / 01 / 2024


(2) AICTE New Delhi Public Notice for Approval process 2024-25

(3) विश्वविद्यालय का पत्र क्र.080 दिनांक -20 / 2 / 2024

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया था कि ऐसी समस्त संस्थाएँ जो BBA या BCA पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उन्हें आगामी सत्र 2024-25 में उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु AICTE से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

पुनः AICTE द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि भी निर्धारित की जा चुकी है। AICTE से साअनुमति / स्वीकृती प्राप्त करने हेतु जानकारी www.aicte.india.org पर प्राप्त की जा सकती है। सत्र 2024-25 में AICTE New Delhi से अनुमत प्राप्त करने के उपरांत ही संस्थाएँ BBA या BCA पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।


22/04/24
(विवेक शाक्य)
सहायक कुलसचिव
(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)